राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1364/2013/जोधपुर

मैसर्स शमशुद्दीन
बस स्टेंड देचू, तहसील शेरगढ़,
जिला जोधपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–चतुर्थ, वृत्त–ई, जोधपुर। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12/05/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 9/आरवेट/जेयूई/12–13 आदेश दिनांक 28.03.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत्त–ई, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 10.11.2009 को पारित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा मेसर्स नारायण सिंह सांघसिंह फर्म टिन नं. 08942600548 से कुछ माल खरीद किया गया था। उस पर बना I.T.C इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि विक्रेता द्वारा रिटर्न प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके बाद मैसर्स नारायण सिंह सांघसिंह फर्म द्वारा रिटर्न पेश कर दी गयी, जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष एक संशोधन आवेदन पत्र पेश कर I.T.C स्वीकार कर मांग संशोधित करने का निवेदन किया। परन्तु कर जमा नहीं होने के कारण संशोधन अवादेन पत्र को भी दिनांक 05.11.2012 को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20.03.2013 से अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनय सोगानी ने कथन किया कि कर निर्धारण आदेश में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि I.T.C सत्यापन पर मांग कर कर दी जावेगी। अधिकृत प्रतिनिधि के अनुसार मैसर्स नारायण सिंह सांघसिंह फर्म द्वारा विभाग में न केवल रिटर्न प्रस्तुत कर दिये गये है बल्कि जो कर देय था वह समाप्त भी कर दिया गया है। इसके प्रमाण में उन्होंने जमा कर के चालानों की फोटो प्रतियां पेश की गयी है। उक्त फोटो प्रतियां पेश कर उन्होंने बताया कि धारा 18(2) की पालना हो चुकी है अतः उनकी I.T.C स्वीकार करने हेतु प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया जावें।

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अभिभाषक द्वारा चालना की फोटो प्रतियों के सत्यापन हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने की सहमती दी।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की I.T.C को इस कारण अस्वीकार किया गया था कि मैसर्स नारायण सिंह सांघसिंह फर्म द्वारा कर जमा नहीं कराया है। अब जबकि उसके द्वारा यह कर चुका दिया है तो अपीलार्थी को I.T.C का लाभ देय बनता है। अतः जमा कर का RCR से सत्यापन करने के बाद पूर्ण जमा का यदि सत्यापन हो जाता है तो अपीलार्थी को I.T.C का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतः इस हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण वास्ते सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

12-5-14

(अमर सिंह)
सदस्य